भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3403
07 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस

†3403. कैप्टन बृजेश चौटाः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने टेली-मानस (टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स) के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच तथा स्वीकृत क्षमता, सेवाओं, लाभार्थियों, दावों अथवा कार्मिकों, जैसी भी स्थिति हो, की समीक्षा की है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान निधियों, स्वीकृत पदों, सुविधाओं, उपयोग तथा प्राप्त परिणामों का वर्ष-वार एवं जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) लंबित स्वीकृतियों, रिक्त पदों, विलंब तथा इनके लिए उत्तरदायी प्राधिकारी का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में चिन्हित सेवा एवं अवसंरचना संबंधी कमियों को दूर करने के लिए कोई समयबद्ध कार्य-योजना तैयार की है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ) जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य के विषय हैं। सरकार ने 10 अक्टूबर, 2022 को "राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" (एनटीएमएचपी) शुरू किया था, जो जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के डिजिटल स्कंध के रूप में कार्य करता है ताकि 24X7 टेली-मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवाओं के माध्यम से सभी को समान, सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान की जा सके। इसके लिए, देश भर में एक टोल-फ्री नंबर (14416) स्थापित किया गया है।

दिनांक 27 जुलाई 2026 तक की स्थिति के अनुसार, 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 53 टेली मानस प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं। टेली मानस सेवाएं राज्यों द्वारा चुनी गई भाषा के आधार पर 20 भाषाओं में उपलब्ध हैं। इसकी स्थापना के बाद से हेल्पलाइन नंबर पर 42 लाख से अधिक कॉल संभाली जा चुकी हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और निम्हांस राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के सर्वोच्च संस्थान द्वारा नियमित निगरानी के माध्यम से टेली-मानस के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई है।

इसके अतिरिक्त, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने राज्यों में टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता और नेटवर्किंग (टेली-मानस) का देश भर में पहुंच और उपयोगकर्ता सहभागिता के संदर्भ में इसके प्रभाव का आकलन किया है। डब्ल्यूएचओ द्वारा टेली-मानस पर एक त्वरित मूल्यांकन रिपोर्ट (2024) प्रकाशित की गई है, जो कार्यक्रम के प्रदर्शन, पहुंच, उपयोग के पैटर्न और उपयोगकर्ता अनुभव का अवलोकन प्रदान करती है। यह रिपोर्ट मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। (https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Rapid%20Assessment%20report%20on%20TeleMANAS.pdf)

इसकी स्थापना से लेकर अब तक एनटीएमएचपी के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधियों का विवरण और उनसे संबंधित जानकारी निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

संस्थान	2022-23		2023-24		2024-25		2025-26	
	सं.अ.	व्यय	सं.अ.	व्यय	सं.अ.	व्यय	सं.अ.	व्यय
एनटीएमएचपी	120.98	65.49	65	32.91	45	42.29	45	44.10

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के भाग के रूप में एनटीएमएचपी का बजट 01.08.2025 से जारी किया जाता है।.

सरकार ने 10 अक्टूबर, 2024 को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर टेली-मानस मोबाइल एप्लिकेशन भी शुरू किया है। टेली-मानस मोबाइल एप्लिकेशन एक व्यापक मोबाइल प्लेटफॉर्म है जिसे स्वस्थ जीवन से लेकर मानसिक विकार तक की सभी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए सहायता प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। सरकार ने टेली-मानस के तहत वीडियो परामर्श सुविधा भी शुरू की है, जो पहले से मौजूद ऑडियो कॉलिंग सुविधा का एक और उन्नत संस्करण है।

सरकार देश भर में मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की सुलभता, गुणवत्ता और निरंतरता में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनटीएमएचपी) और टेली-मानस को लगातार सुदृढ़ कर रही है। कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर आधार पर निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

i. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में टेली-मानस प्रकोष्ठों को सुदृढ़ बनाना;

ii. मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाताओं और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की निरंतर भर्ती, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और पर्यवेक्षण;

iii. टेली-मानस मोबाइल एप्लिकेशन, वीडियो परामर्श सेवाओं, बहुभाषी सहायता, सुलभता संबंधी विशेषताओं और डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफार्मों के साथ एकीकरण के माध्यम से डिजिटल अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना;

iv. परिचर्या की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए टेली-मानस और जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी), विशिष्ट परिचर्या संस्थानों और अन्य स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्रो के बीच रेफरल संबंधों को सुदृढ़ बनाना;

v. प्रमुख सेवा प्रदायगी संकेतकों के माध्यम से कार्यक्रम के प्रदर्शन की नियमित निगरानी और समीक्षा।
